

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i) प्राधिकार.से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6691 No. 6691

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 13, 2010/अग्रहायण 22, 1932

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 13, 2010/AGRAHAYANA 22, 1932

विदेश मंत्रालय (सी पी वी प्रभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 964(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2007 और विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2004 का अधिक्रमण करते हुए, इन बातों के सिवाय, जिन्हें इस अधिक्रमण से पहले किया गया अथवा करने का लोप किया गया, एतद्द्वारा विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में पासपोर्ट प्रदाता अधिकारी, अधीक्षक और सहायक (समूह 'ख' राजपत्रित और अराजपत्रित पद) के पदों की भर्ती के तरीके को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन, (समूह 'ख'-राजपत्रित और अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2010 कहा जाएगा ।
 - (2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
 - 2. अनुप्रयोज्यता.—ये नियम इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों के संबंध में लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- 4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
 - 5. निरर्हता :--वह कोई व्यक्ति,--
 - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का इकरार किया है जिसकी एक जीवित पति/पत्नी है, अथवा
 - (ख) जिसने एक जीवित पति/पत्नी **के रहते हु**ए किसी व्यक्ति से विवाह किया या विवाह का इकरार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की व्यक्ति और दूसरे पक्षकार के संबंध में लागू पर्सनल लॉ के अंतर्गत अनुमित है और ऐसे विवाह के लिए दूसरे आधार विद्यमान हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रचालन से छूट प्रदान कर सकती है।

- 6. छूट देने की शक्ति.—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा किया जाना जरूरी या अपरिहार्य है, तो वह आदेश पारित करके लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के प्रावंधानों में से किसी के प्रवर्तन में छूट प्रदान कर सकती है।
- व्यावृत्ति.—इन नियमों में कही गयी कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

4742 GI/2010

9	लगस्य	9

	क्या चयन पद है क्या योजित वर्षों के सीधी भती के जिए अथवा गैर-चयन पद सेवा लाभ स्वीकार्य हैं आयु सीमा	(9)		गर्- घथन			परिवीक्षा की अवाध, याद काइ हो।			(10)	7 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में किन ग्रेडों से पद्मन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमलन किया जाना है।			(12)		केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के ऐसे अधीक्षक (पे बैण्ड -2, 9300 - 34800 रु.+ ग्रेड पे 4600 रु.) जिन्होंने इस ग्रेड में 2 वर्षों	की नियमित सेवा पूरी की हो जिसके न होने पर अधीक्षक और सहायक (पे बैण्ड 2; 9300 - 34800 रू. + ग्रेड प 4200/-	ावा पूरी की हो।	टिप्पणी 1. ं जहाँ अईकारी/पात्रता सेवा पूरी कर चुकने वाले कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने के संबंध में विचार	किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जा सकेगा बशत उनका अहकारा/पात्रता तथा 	अहंकांसे/पात्रता संवावाध के आध अथवा दा वर्ष, जा कम हा, ज कम न हा जार प्रभान में जान में हुए हैं	अहेकारों या पात्रता सर्वा पहल हा पूरा कर ला है, अंगल उच्चार त्रुखन पुनारा ने पर है। ते जान जना जना जना जना जना		. पदोन्नति के लिए न्यूनतम अईकारी सेवा की गणना के लिए अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या उस तिथि स	तिथि को छठे केन्द्रीय वेतन आयांग की सिफारिशा के आधार पर संशाधित वर्तन बाबा प्रदान निर्मान पर संशाधित को छहे के	की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित समतुल्य ग्रंड प अथवा वंतनमान न प्रदान का गई राजा राजा	
अनुसूची	पे बेंड, ग्रेड पे व वेतनमान	-	(4)	प् वैपड - 2 0200 - 34800 रु +	ग्रेड पे 4800/- रुपए		क लिए निर्घारित आयु व	पदोन्नति के मामले में लागू		(6)	लागू नहीं	ामेलन द्वारा भर्ती के मामले					न के ऐसे अधीक्षक (पे बैण	की हो जिसके न होने पर	में छह वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा पूरी की हो।	कारी/पात्रता सेवा पूरी कर	उनके वरिष्ठ अधिकारियों	पात्रता संवावाध के आध 3	सर्वा पहल हा पूरा कर ०	जिल्हा जिल्हा	के लिए न्यूनतम अईकारी	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग	न आयोग की सिफारिशो	
	वर्गीकरण	(3)		सामान्य केन्द्रीय सेवा समान् ''ख'' अस्मानित	-		क्या सीधी भती के	शिक्षणिक अर्हताएं पदोन	होगी।		लाग	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अ				पदोन्नितः	केन्द्रीय पासपोर्ट संगठः	की नियमित सेवा पूरी	रः) के ग्रेड में छह वर्ष	टिष्पणी १. ुः जहाँ अही	किया जा रहा है, वहाँ	ऐसी वांछित अहेकारी/	अहंकारी या पात्रता र	सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।।	टिप्पणी २. : पदोन्नति	पहले जिस तिथि को	की गई सेवा को वेत	जाएगा।
	पदों की संख्या		(2)	320* (2010)	*कार्यभार के आधार पर पदा की अंग्या ब्रह्मई या घटाई जा	सिकेगी।	सीधी मती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं				लागु नहीं	मती का तरीकाः सीधी मती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा	अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों	क्त्यों का प्रतिशत	(11)													
	पद का नाम		(E)	1. पासपोर्ट प्रदाता	आधकारा		सीकी मती के लिए अपि			(8)		भर्ती का तरीकाः सीधी	अथवा प्रतिनियुक्ति या 3	द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत		पदोन्नति द्वारा 100%												

यदि विभागीय पदोन्नति समिति संरचना क्या है?	विद्यमान है, तो उसकी	यदि विमागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी जिन परिस्थितयों में भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है। संरचना क्या है?	समय संघ लोक सेवा आयोग र	। परामर्श किया जाना है।	
(13) समूह 'ख' पद पर पदोन्नति के संबंध में विचार किये जाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति :-	विचार किये	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।		(14)	
 संयुक्त सविव और केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रभारी मुख्य पासपोर्ट अध्यक्ष केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रशासन के प्रभारी निदेशक अथवा उप सविव - सदस्य विदेश मंत्रालय के दो उप सविव - सदस्य केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के उप पासपोर्ट अधिकारी - 	ासपोर्ट संगठन के प्रभारी क्षे प्रशासन के प्रभारी देख विव - सदस्य उप पासपोर्ट अधिकारी -				
(1) (2) 2. अधीक्षक 245* (2010) (* कार्यभार के		(4) पे बैणड – 2 9300 – 34800 रु.	(5) चयन	(6) लागू नहीं	(7) लागू नहीं
आधार पर पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा	पदों राजपत्रित बढ़ाई अननुसचिवीय जा	+ ਸ਼ੇਫ਼ ਧੇ 4600/- ਨੁਧਾਹ੍			
सकती है) (8)		(0)			
लागू नहीं		लागू नहीं		(10) शून्य	
पदोन्नति द्वारा 100%	(11)		प्रिन्मितिः	(12)	
			नदानातः केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के रुपए + ग्रेड पे 4200/-रुप हो।	न्यानातः केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के सहायक पासपोर्ट अधिकारी (पे बैण्ड -2, 9300-34800/- रुपए + ग्रेड पे 4200/-रुपए) जिन्होंने इस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो।	ण्ड -2, 9300-34800/- गे नियमित सेवा पूरी की
			टिप्पणी 1: संशोधित नियमो	टिप्पणी 1: संशोधित नियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख को नियमित आधार	रीख को नियमित आधार

िष्पणी 2: जहाँ अईकारी/पात्रता सेवा पूरी कर चुकने वाले कनिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी किए जाने के संबंध में विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जा सेकेगा बश्तें उनकी अईकारी/पात्रता सेवा ऐसी वाष्टित अहंकारी/पात्रता सेवाविध के आधे अथवा दी वर्ष, जो कम हो, से कम न हो और किनेष्ठों के साथ जिन्होंने सेवाविध के आधे अथवा दी वर्ष, जो कम हो, से कम न हो और किनेष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी अईकारी या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नित के रिष् अपने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।। िच्पणी 3: पदोन्नित के लिए न्यूनतम अहंकारी सेवा की गणना के लिए अधिकारी द्वारा 01 उनवरी, 2006 या उस तिथि से पहले जिस तिथि को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की जनवरी, रेवा को वेतन तिन बांचा ग्रदान की गई सेवा को वेतन	अध्यक्ष	D 1	पर सहायक का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में अईकारी सेवा तीन वर्ष है। उसेगी।
टिप्पणी 2: जहाँ अईकाशी/पात्रता सेवा पूरी कर चुकने वाले कनिष्ठ अधिकारियों को पदीन्तत किए जाने के संबंध में विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जा सकेगा बश्रते उनकी अईकाशी/पात्रता सेवा ऐसी वार्षित अईकाशी/पात्रता सेवा एसी वार्षित अईकाशी/पात्रता सेवा एसी बार्ष जे अध्ये अध्येवा दो वर्ष, जो कम हो, से कम न हो और कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी अईकाशी या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चंतर ग्रेड में पदोन्नित के तिए अपने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।। टिप्पणी 3: पदोन्नित के लिए न्यूनतम अईकाशी सेवा की गणना के लिए अधिकाशी द्वारा 01 उनवरी, 2006 या उस तिथि से पहले जिस तिथि को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की उत्तम सिकाति के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया, प्रदान की गई सेवा को वेतन	अध्यक्ष	-	
विचार किया जा सकेगा बशते उनकी अहंकारी/पात्रता सेवा ऐसी वांछित अहंकारी/पात्रता विचार किया का सकेगा बशते उनकी अहंकारी/पात्रता सेवाविध के आधे अथवा दो वर्ष, जो कम हो, से कम न हो और कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी अहंकारी या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।। लिए अपने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।। टिप्पणी 3: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अहंकारी सेवा की गणना के लिए अधिकारी द्वारा 01 उनवरी, 2006 या उस तिथि से पहले जिस तिथि को छोठे केन्द्रीय वेतन आयोग की जनवरी, 2006 या उस तिथि से पहले जिस किया गया, प्रदान की गई सेवा को वेतन तितन होंचा प्रदान किया गया, प्रदान की गई सेवा को वेतन	अध्यक्ष		2: जहाँ अईकारी/पात्रता सेवा पूरी कर चुकने वाले कनिष्ठ अधिकारियों को प प्ते के संबंध में विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध
ऐसी अर्हकारी या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगले उच्चतर ग्रंड में पदान्नात के लिए अपने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं।। तिए अपने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं।। टिप्पणी 3: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा की गणना के लिए अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या उस तिथि से पहले जिस तिथि को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की जनवरी, 2006 या उस तिथि से पहले जिस किया गया, प्रदान की गई सेवा को वेतन विसन	अध्यक्ष		किया जा सकेगा बशते उनकी अहंकारी/पात्रता सेवा ऐसी वांछित अहंकार। 1 के आहे अथवा दो वर्ष, जो कम हो, से कम न हो और कनिष्ठों के साथ
टिप्पणी 3 : पदोन्नति के लिए न्यूनतम अहंकारी सेंबा की गणना के लिए अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या उस तिथि से पहले जिस तिथि को छंठे केन्द्रीय वेतन आयोग की क्रिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया, प्रदान की गई सेंबा को वेतन	अध्यक्ष		हिकारी या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदा- पने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।।
जनवरी, 2006 या उस तिथि से पहले जिस तिथि को छठ कन्द्राय वर्तन आया। सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया, प्रदान की गई सेवा को वेतन	अध्यक्ष		। 3 : पदोन्नति के लिए न्यूनतम अहंकारी सेवा की गणना के लिए अधिकारी
	अध्यक्ष		, 2006 या उस तिथि से पहले जिस तिथि को छेठे कन्द्राय वतन आया रेकों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया, प्रदान की गई सेवा
	अध्यक्ष		
	अध्यक्ष		(14) (14) (14)
समझा जाएगा। (14)	ासपोर्ट अधिकारी - अध्यक्ष 1 उप सिचेव - सदस्य - सदस्य	केये जाने के लिए)	नोक सेवा आयोग से परामश करना आवश्यक गठा है।
	- मत्रस्य - मत्रस्य	ासपोर्ट अधिकारी - अध्यक्ष 1 उप सचिव - सदस्य	
अध्यक्ष		- सत् रस्य	
समझा जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। ध्यक्ष		(V)	(9)
समझा जाएगा। (14) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। य (5) (6)	(9) (5)	4	लागू नहीं
समझा जाएगा। (14) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक न य य (5) ततागु नहीं	(4) (5) (6) अ नगम लागू नहीं	1	

	ाय-सीमा सरकार द्वारा समय-	म्य पर अधिसूचित सम्मितलत	स्नातक स्तरीय परीक्षा नियमों के	नुसार होगी।	-		
(9)		מו, לווט	. 12	<u>ෆ</u>			
(4)	(6)	चयन				÷ 1	
(*)	(4)	पे बैगड - 2	- 0086	रु. + ग्रंड प	4200/- 전.		
((3)	सामान्य केन्द्रीय पे	वा समृह "ख"	अराजपत्रित	अननुसचिवीय		
	(2)	428* (2010)	\$	आधार पर पदों की 🖟	संख्या बढ़ाई या	घटाई जा सकेगी)	
	(4)	सहायक					

	(10) सीधी मर्ती और पदोन्नति के लिए दो वर्ष	(12)	पदोन्नितिः	केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रवर श्रेणी लिपिक (पे बैंड 5200-20200 रु. + ग्रेड पे 2400) जिन्होंने इस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो।	टिप्पणी 1: संशोधित नियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख को नियमित आधार पर प्रवर् श्रेणी लिपिक का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में अईकारी सेवा तीन वर्ष ही रहेगी। टिप्पणी 2: जहाँ अईकारी/पात्रता सेवा पूरी कर चुकने वाले कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने के संबंध में विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जा सकेगा वशतें उनकी अईकारी/पात्रता सेवा ऐसी वांछित अईकारी/पात्रता सेवाति के साले कार्	वर्ष, जो कम हो, से कम न हो और कनिष्टों के साथ जिन्होंने ऐसी अईकारी या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।।	टिप्पणी 3 : पदोन्नति के लिए न्यूनतम अईकारी सेवा की गणना के लिए अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 या उस तिथि से पहले जिस तिथि को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया, प्रदान की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित समतुल्य ग्रेड पे अथवा वेतनमान में प्रदान की गई सेवा समझा जाएगा।	समिति विभागी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अहंताः केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के ऐसे प्रवार श्रेणी लिपिक, जिन्होंने इस ग्रेड में आठ वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो तथा जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि हो अथवा मान्यताप्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि हो।
(6)	भ शैक्षणिक अर्हताएं सरकार द्वारा लागू नहीं १ समय-समय पर अधिसूचित १ सम्मिलित स्नातक स्तरीय परीक्षा	2 d x 7002	50% पदा का भता पदान्नात द्वारा की जाएगी	25% पदों की भर्ती सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी	८५% पदा का भता साधा भतो द्वारा को जाएगी			10 D-Q-

		THE GAZE	TTE OF INDIA :	EXTRAORDINARY
			[फा. सं. V.IV/801/2/2010] मुक्तेश के. परदेशी, संयुक्त सिचव (पीएसपी) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी	
(14)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।		मुक्तेश के. परदेशी, संयुक्त सिचव (ग	
	र के व	2. केन्द्रीय पासपीट सगठन क प्रशासन क प्रमारा ानदशक अवसा ठुन राज्य सदस्य 3. विदेश मंत्रालय के दो उप सचिव - सदस्य 4. केन्द्रीय पासपीट संगठन के सहायक पासपीटे अधिकारी - सदस्य		

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(C P V Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2010

G.S.R. 964(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of External Affairs, Central Passport Organization (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2007 and the Ministry of External Affairs, Central Passport Organization, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2004, in so far as it relates to the post of Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersessions, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the posts of Passport Granting Officer, Superintendent and Assistant (Group 'B' Gazetted and Non-gazetted posts) in the Central Passport Organization under the Ministry of External Affairs, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Central Passport Organization (Group 'B' Posts Gazetted and Non-Gazetted), Recruitment Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Applicability. These rules shall apply to the posts mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the above said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the above said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
 - 5. Disqualification. No person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the

marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
- 7. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	post		sification	Pay Band Grade Pay or Pay scale		Whether Selection or Non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible
1 1. Passport Granting Officer	2 320* (2010) * Subject to variation dependent on workload		ral ice	Pay Band 2 Rs.9300 34800 plus Grade Pay Rs.4800		5 Non- Selection	Not applicable
Age limit for Direct Recruits			Whether and Edu qualificat prescribe Direct will appl case promoter	icational ion ed for Recruits y in the of	р	eriod orobation,	of Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)		(9	9)		(10)	(11)
Not applicable	Not Not applicat		Not app	plicable		Nil	100 percent by promotion

			•
	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
	Promotion	13	14
	Superintendent in Pay Band 2; Rs.9300-34800 plus Grade pay of Rs.4600) of the Central Passport Organization with two	Joint Secretary and Chief Passport Officer in-charge of	Consultation with Union Public Service Commission not necessary
	grade failing which Superintendent with six years' combined regular service in the grade of Superintendent and Assistant in (Pay Band 2:	Central Passport Organization - Chairman 2. Director or Deputy Secretary in-charge of Administration of the Central	
	Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4200).	Passport Organization – Member 3. Two Deputy Secretaries from Ministry of External	
	Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the	Affairs - Members 4. Deputy Passport Officer of the Central Passport Organization - Member	
	requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher		
	grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
	Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January		
1	2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be		
•	deemed to be service rendered		

) _									-		
in the correspon or pay scale extended the recommendate Commission.	ended based	I On									
											\dashv
1	2	3			4	5	6	4 annli	coble		
2.	245*	Gene	eral		Pay	Selection	INC	ot-appli	Cable		
Superintendent	(2010)	Cent			Band 2;	/					
Cuponintende	* Subject	Serv			Rs.9300-						
	to	Grou		'B'	34800						
	variation	1	etted		pius Grade						
	dependent	Mini	steria	d i	pay Rs.						
	on				4600						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	workload			.(9)	(10)			(11)		
(7)	(8)	.		(• •					<u>. </u>
	Not applica	able	No	ot ap	plicable	Nil		100	perce	nt	by
Not applicable	Not applied	abic	,,,,	7. 5.				prom	otion		
	12				13				14		طاءن
PROMOTION	12.			Grou	p 'B' Depar	tmental	- 1	Consu	itation	Pul	vith
PROMOTION			F	Pron	notion Com	mittee for		Union	_	Pu	عاال
				cons	idering pror	notion:		Service			no
Assistant in Pa	y Band 2; R	s.930	0-			and Chie	e	neces			
34800 plus Gra	ade Pay of K	\$.420	10)	1. J	oint Secreta	ary and Chie r in-charge (of	110000	Ju.,		
of the	Central P	asspo	on i	Pass	tral Passpor	rt				4	
Organization	with five	yea			anization -		1				
regular service	in the grade	•	1	Orga	al lization	0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	ii-ihilihi conii	co sh	all	2.	Director	or Depu	ty				
Note 1: The e	three year	s in t	he	Sec	retarv in	O1144.3	of				
case of persor	e holding the	e post		Adm	ninistration (of the Centr	al				
Assistant on	regular basis	on t	ine			janization	-				
date of notific	ation of the	revis	sed	Mer	nber						
rules.											
						Caratarias					
Note 2 : Whe	ere juniors w	ho ha	ave	3. 1	wo Deputy	Secretaries					
completed t	heir quality	/ing	OI	Tron	n Ministry o	hers					-
eligibility se	ervice are		ing	Alla	ans - wein			-			
considered f	or promotio	n, u ncide	red	4 4	Assistant Pa	ssport Offic	er				
seniors shall	also be co	ort of	the	of t	he Central I	Passport					
provided they requisite qua	ale not sin	eliaib	ility	Orc	anization -	Member					
service by m	ore than half	f of s	uch								
qualifying or	eligibility se	ervice	or					1			
two years W	hichever IS	less, i	anu								
have success	sfully comple	etea i	nen								
nrobation ne	riod for pror	notior	1 10								
the next high	her grade a	iong v	Willi								
their juniors	who have	aire	auy								
completed	such quali	iying	or								
eligibility serv	rice.										
Note 3 :	For the nu	rpose	of	ŀ							
Note 3	i di dio po										

service for p rendered on officer prior to the date from pay structure Central I recommendate extended, sha service re	romotion, the se a regular basis be a regular basis be assed on the pay Commissions has all be deemed to grade pay or led based on	oy an 06 or vised Sixth ssion been o be the					
					,		
1	2	3	4		5		6
3. Assistant	428*	General	Pay	,	Select	tion	Not applicable
	(2010)	Central	Ban	id 2;			. Tot applicable
	* Subject to	Service	1	9300-			
	variation dependent on	Group 'B' Non-	348				
	workload	Gazetted	plus Gra				
		Ministerial	pay				
		_		4200			·
(7)	(8)	(9)	L		(10)	T	(11)
Age limit shall	The	Not applica	ble	Two	years fo	25	50 percent by
be such as	Educational			Direc	t		50 percent by Promotion.
may be	qualifications				uits an	d	
notified by the	shall be such			Prom	otees	,	25 percent by
Government	as may be notified by the						Promotion through
from time to	Government						imited Departmental
time in the	from time to						Competitive Examination
Rules of	time in the					'	-xarriiriation
Combined	Rules of					2	25 percent by Direct
Graduate	Combined						ecruitment.
Level Examination.	Graduate Level						
CAMINIALION.	Examination.						
	Examination.						
	12		13				14
PROMOTION		Group 'B' [Depar	tmenta	ıl ·	Co	nsultation with Union
Hanan District	01	Promotion	Comr	nittee f	for		blic Service
	Clerks in Pay		g pron	notion	or	Co	mmission not
•	200-20200 with Rs.2400 of the		n:			nec	cessary.
Central Passpo	ort Organization	1. Joint Se	orata	ny and	Chiof		
with ten years' r	egular service in	Passport C	fficer	in-cha	rae of		
the grade.		Central			sport		
		Organization	n -	Chair	• ;		
•	•	0 5:					
UTUS CTLL		2. Direct	or (or D	eputy		

Note 1: The eligibility service shall continue to be eight years in respect of persons holding the post of Upper Division Clerk on regular basis on the date of notification of the Revised Rules.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their would also seniors considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by of such half more than qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, successfully have completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Eligibility for Limited Departmental Competitive Examination:

Upper Division Clerks of the Central Passport Organization with eight years of regular service in the grade and possessing a Bachelor's Degree from a recognized University or

Secretary in-charge of Administration of the Central Passport Organization – Member

3. Two Deputy Secretaries from Ministry of External Affairs - Members

4. Assistant Passport
Officer of the Central
Passport Organization Member

346							
	Association Universities rec	of	Indian				: 7
	of foreign Unive	ersities.	degrees		.		
L				···	.		

 $[F.\,No.\,V.IV/801/2/2010]$ $MUKTESH\,K.\,PARDESHI,\,Jt.\,Secy.\,(PSP)\,\&\,Chief Passport\,Officer$